Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

नैतिकता, सत्यनिष्ठा व अभिवृत्ति

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CGM04

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

नैतिकता, सत्यनिष्ठा व अभिवृत्ति

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

CGPCS DLP

विषय सूची (Contents)

1. नीतिशास्त्र : एक परिचय **5–15**

1.1 नीतिशास्त्र 5

1.2 मानव मूल्य 9

1.3 नैतिक मूल्य 11

2. मानवीय आवश्यकताएँ एवं अभिप्रेरणा **16–44**

2.1 लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य 16

2.2 प्रशासन में नैतिक तत्त्व 19

2.3 नैतिक तर्क 25

2.4 नैतिक दुविधा 26

2.5 नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा 29

2.6 लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता 32

2.7 शासन में उच्च मूल्यों का पालन 37

2.8 अभिप्रेरणा 39

3. भ्रष्टाचार **45–78**

3.1 भ्रष्टाचार का अर्थ 45

3.2 भ्रष्टाचार : प्रकार एवं कारण 47

3.3 भ्रष्टाचार के प्रभाव 50

3.4 भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय 51

3.5 भ्रष्टाचार निवारण में समाज, परिवार, सूचना तंत्र एवं व्हिसल ब्लोअर की भूमिका 68

3.6 भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 73

3.7 भ्रष्टाचार का मापन एवं अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता 74

4. मनोवृत्ति **79–100**

4.1 मनोवृत्ति क्या है? 79

4.2 मनोवृत्ति का निर्माण 82

4.3 मनोवृत्ति के प्रकार्य 85

4.4 मनोवृत्ति परिवर्तन 88

4.5 प्रबोधक संप्रेषण 90

4.6 पूर्वाग्रह एवं विभेद 93

4.7 भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता 98

5. अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएँ/मूल्य **101–127**

5.1 अभिक्षमता : अवधारणा एवं विशेषताएँ 101

5.2 लोक सेवा : अवधारणा एवं महत्त्व 104
5.3 लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य 106
5.4 सत्यनिष्ठा 109
5.5 निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी 112
5.6 वस्तुनिष्ठता 114
5.7 लोक सेवा के प्रति समर्पण 115
5.8 समानुभूति 116
5.9 सहिष्णुता 118
5.10 अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना/करुणा 119
5.11 सिविल सेवाओं के लिये अन्य महत्त्वपूर्ण मूल्य 121

6. सांवेगिक बुद्धि **128–140**
6.1 सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा 128
6.2 सांवेगिक बुद्धि से संबंधित मॉडल 129
6.3 शासन/प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि की उपयोगिता एवं अनुप्रयोग 134

7. केस-स्टडी **141–153**

8. महत्त्वपूर्ण शब्दावली एवं उनमें अंतर **154–160**

अध्याय
1

नीतिशास्त्र : एक परिचय
(Ethics : An Introduction)

नैतिकता अनिवार्य रूप से एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य समाज का हित होता है। नैतिकता की यह मांग है कि व्यक्ति अपने निजी हित के स्थान पर समाज के कल्याण को अधिक महत्त्व दे परंतु यह एक ऐच्छिक कार्यविधि है जिसकी अपेक्षा तो समाज करता है परंतु क्रियान्वयन व्यक्ति विशेष के स्वविवेक पर निर्भर होता है। दार्शनिकों के अनुसार नीतिशास्त्र 'आचरण का विज्ञान' है। ऐसे मूल्य, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे हमें व्यवहार करना चाहिये, 'नैतिक मूल्यों' की श्रेणी में आते हैं, जैसे– ईमानदारी, निष्पक्षता आदि। इसलिये एक विश्वसनीय काम के माहौल को बढ़ावा देने के लिये नीतिशास्त्र का प्रशिक्षण अत्यधिक आवश्यक है। नैतिकता सदैव समाज सापेक्ष होती है। समाज में ही नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है और समाज के लोगों की अंतर्क्रिया के फलस्वरूप ही इसका विकास होता है। समय के साथ-साथ समाज की व्यवस्थाओं में परिवर्तन आने पर प्राय: नैतिक प्रगति या अवनति देखी गई है। इसलिये नीतिशास्त्र का महत्त्व एवं प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी।

1.1 नीतिशास्त्र *(Ethics)*

- नीतिशास्त्र एक मानवीय, सामाजिक, सैद्धांतिक व व्यवहारपरक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण का मूल्यांकन अथवा अध्ययन किया जाता है।
- नीतिशास्त्र का अध्ययन 'विषय विशेष के रूप में' तथा समाज में नैतिक व्यवस्था के रूप में किया जाता है।

एथिक्स और मोरैलिटी

- नैतिकता के लिये अंग्रेज़ी में दो शब्द प्रचलित हैं– 'एथिक्स' और 'मोरैलिटी'।
- एथिक्स एक ग्रीक शब्द 'एथिकोस' (Ethicos) से बना है, जिसकी उत्पत्ति 'इथोस' (Ethos) से हुई है। इथोस का उस समय अर्थ था रीति-रिवाज़, हालाँकि आजकल इसका अर्थ 'आंतरिक विशेषता' के संदर्भ में लिया जाता है।
- इसी प्रकार मोरैलिटी शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के शब्द 'मूर्स' (mores) से हुआ है, जिसका अर्थ है– रीति-रिवाज़।
- इन दोनों में कोई तात्त्विक अंतर नहीं है। सामान्य जीवन में प्राय: मोरैलिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है जबकि अध्ययन के क्षेत्र में एथिक्स का।

विषय विशेष के रूप में नीतिशास्त्र *(Ethics as a special subject)*

विषय विशेष के रूप में पढ़ते समय नीतिशास्त्र को एक विज्ञान के तौर पर देखा जाता है जिसके अंतर्गत उसका व्यवस्थित अवलोकन, उसकी विषय-वस्तु और कुछ मूलभूत सिद्धांतों या नियमों की खोज की जाती है। उदाहरण के तौर पर–उपरोक्त प्रथम बिंदु में नीतिशास्त्र को एक मानवीय, सामाजिक, सैद्धांतिक व व्यवहारपरक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है तथा समाज में रहने वाले मनुष्य, उनका आचरण तथा उस आचरण का अध्ययन ही इस विज्ञान की विषय-वस्तु है। विषय-वस्तु के चारों बिंदु निम्नलिखित हैं–

- **समाज में रहने वाले** से तात्पर्य समाज-सापेक्ष धारणा से है अर्थात् 'एथिक्स' अकेले व्यक्ति पर लागू नहीं होता, यहाँ समग्र समाज का अध्ययन किया जाता है।
- **सामान्य मनुष्य** के अंतर्गत पशु-पक्षियों, सात वर्ष तक के बच्चों, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के साथ ऐसे लोगों की गणना नहीं की जाएगी जो किसी विशेष अवस्था (जैसे– नशे या अर्द्धबेहोशी) में हों। सामान्य शब्दों में इन सभी के अतिरिक्त जो भी लोग हैं, वे सामान्य मनुष्य हैं जिन पर 'एथिक्स' की बात लागू होती है।
- **आचरण** मानवीय क्रियाकलाप का एक प्रकार है जिसे 'नैतिक कर्म' भी कहा जाता है। मानवीय क्रियाकलाप का दूसरा प्रकार 'नीतिशून्य कर्म' है। व्यक्ति नैतिक या अनैतिक केवल उन कर्मों के संदर्भ में माना जाता है जिनका निर्णय करने

8. **सत्यनिष्ठा समझौते (Integrity Pact):** इसका अर्थ है कि सरकार जिस भी कंपनी को किसी भी परियोजना के लिये ठेका देगी उसके साथ एक समझौता करेगी जिसमें लिखा होगा कि वह कंपनी पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह का अवैध लेन-देन नहीं करेगी और यदि साबित होता है कि उसने ऐसा किया है तो उसे न सिर्फ उस ठेके से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि उसे कई अन्य नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। यह समझौता निविदा भरने वाली सभी कंपनियों के साथ किया जाता है जिसका सामान्य परिणाम यह है कि सभी कंपनियाँ तय कर लेती हैं कि वे अवैध लेन-देन नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास कोई अनुचित मार्ग बचता ही नहीं। (अभी यह प्रयोग शुरुआती स्तर पर है भविष्य में इसके बड़े लाभ देखे जा सकते हैं)।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- अंत:प्रज्ञावाद का अर्थ है कि कुछ निश्चित नैतिक नियम हैं, जो व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से पता चलते हैं, इसलिये मनुष्य को उसी के अनुसार कर्म करना चाहिये।
- स्वार्थवादी विचारधारा के समर्थक सिरिनाइक संप्रदाय के विचारक एरिस्टिपस, एपीकुरस आदि थे।
- स्वार्थवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति में स्वार्थी होता है और उसे प्रत्येक निर्णय इसी आधार पर करना चाहिये कि उसका अधिकतम स्वार्थ किसमें है?
- सुखवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुखाकांक्षी होता है इसलिये उसे वही विकल्प चाहिये जिससे उसे अधिकतम सुख की प्राप्ति हो।
- उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है।
- दर्शनशास्त्र के तीन प्रमुख अंग माने जाते हैं– ज्ञानमीमांसा, तत्त्वमीमांसा तथा नीतिशास्त्र।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिये)

1. नीतिशास्त्र को परिभाषित कीजिये।
2. मानकीय नीतिशास्त्र से आप क्या समझते हैं?
3. पर्यावरणीय नैतिकता को परिभाषित कीजिये।
4. लैंगिक नीतिशास्त्र से आप क्या समझते हैं?

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिये)

1. नैतिक मूल्य आत्मनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ।
2. मूल्यों का वर्गीकरण कीजिये।
3. मानव मूल्य को परिभाषित कीजिये।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100/125/175 शब्दों में दीजिये)

1. नैतिक व्यवस्था के रूप में नीतिशास्त्र किस प्रकार सहायक है?
2. नैतिक मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है? समझाइये।
3. मूल्यों के विकास में परिवार, समाज एवं शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिये।

नोट: वर्ष 2018 से पूर्व परीक्षा प्रणाली में दीर्घउत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत 100/250/500 शब्द सीमा वाले प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जबकि नवीन परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत 100/125/175 शब्दों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

अध्याय
2

मानवीय आवश्यकताएँ एवं अभिप्रेरणा (Human Necessity and Motivation)

लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये अभिप्रेरित प्रशासन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिप्रेरणा के द्वारा मानव व्यवहार को संगठन के लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिये आंतरिक तथा बाह्य रूप से प्रेरित किया जा सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य में सिविल सेवकों के बढ़ते उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता के कारण लोक सेवकों के लिये यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि वह नैतिक मूल्यों एवं प्रशासनिक मूल्यों में टकराव न होने दें एवं अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं कर्त्तव्यों के बीच नैतिक दुविधा जैसी परिस्थिति उत्पन्न न होने दें। भारतीय प्रशासन एक वृहद् संगठन है जो संवैधानिक और संविधानेतर कतिपय मूल्यों को आधारभूत मूल्यों के रूप में स्वीकार करता है। अब्राहम मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं के संबंध में आवश्यकता सोपान सिद्धांत के माध्यम से संगठन में कार्य करने वाले कार्मिकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार वर्गीकृत किया है जिनमें अभिप्रेरणा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों और अभिप्रेरणा की आवश्यकता सदैव बनी रहती है।

2.1 लोक प्रशासन में नैतिक सद्‌गुण एवं मूल्य *(Ethics and Values in Public Administration)*

लोक प्रशासन का तात्पर्य लोक कल्याण की दृष्टि से सार्वजनिक या लोक सेवाओं का प्रबंधन करना है। लोक कल्याण का कार्य प्रशासकों द्वारा किया जाता है। राज्य की प्रकृति में बदलाव के साथ ही लोक प्रशासन के कार्य की प्रकृति व क्षेत्र में भी परिवर्तन आए हैं। साथ ही प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होने लगी है। इन अधिकारों पर कानून एवं नैतिक मार्गदर्शन की कमी के कारण प्रशासकों के कार्यों में जटिलताएँ बढ़ने लगी हैं। इसके परिणामस्वरूप नियमों के प्रति विमुखता, अकार्यकुशलता, ईमानदारी व सत्यनिष्ठा की कमी देखने को मिली है। यही कारण है कि लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र एवं मूल्यों की उपयोगिता व आवश्यकताओं पर विचार किया जाने लगा है।

राज्य की प्रकृति में परिवर्तन से लोक प्रशासन से अपेक्षाएँ *Expectations from public administration by the change in the state's nature)*

- राज्य के निर्माण से ही उसकी प्रकृति में परिवर्तन होता रहा है। जैसे-जैसे राज्य की प्रकृति और गतिविधियों का विस्तार होता गया है वैसे-वैसे लोक प्रशासन का महत्त्व बढ़ता गया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम प्रशासन की गोद में पैदा होते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, मित्रता करते हैं एवं टकराते हैं और मर जाते हैं।
- वर्तमान समय में राज्य के प्रकार्यों में वृद्धि ने सरकार की भूमिकाओं में व्यापक परिवर्तन किया है जिसके अंतर्गत सरकार विधि-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के कार्यों के साथ जनता की विभिन्न आकांक्षाएँ भी पूर्ण करती हैं।
- सरकार जैसे-जैसे अपने विकास के साथ नवीन कार्यों व दायित्व को सँभालती है, प्रशासन को भी उसी अनुरूप प्रभावी प्रक्रियाएँ करनी होती हैं। यह वास्तव में लोक सेवा के समुचित एवं विवेकी संगठन से ही संभव है क्योंकि सक्षम व प्रभावी लोक सेवा के अभाव में प्रशासन पूर्णतः विघटित हो जाएगा।
- स्पष्ट है कि यह आवश्यकता लोक कार्मिकों में निष्ठा, प्रतिभा, कर्मनिष्ठा, सामर्थ्य, कार्य के प्रति समर्पण भावना आदि की मांग करती है, जिन्हें लोक प्रशासन में सदाचार एवं नैतिक मूल्यों के रूप में देखा जा सकता है।

लोक प्रशासन में नैतिक सद्‌गुणों एवं मूल्यों की आवश्यकता

लोक प्रशासन में नैतिक सद्‌गुणों एवं मूल्यों की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं-

- राजनीतिक नेतृत्व में गिरावट
- भ्रष्टाचार
- भाई-भतीजावाद
- समाज में व्याप्त असमानता
- वैश्विक मानकों के अनुपालन की आवश्यकता

अध्याय
3

भ्रष्टाचार (Corruption)

भ्रष्टाचार को भारत की एक गंभीर एवं जटिल समस्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। इसलिये भारत में अन्य देशों की तुलना में अधिक गंभीर एवं व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार पाया जाता है। देश के विकास में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बाधा है। लोक-कल्याणकारी राज्य एवं संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये भ्रष्टाचार का उन्मूलन अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान भारत में भ्रष्टाचार एक सामाजिक मूल्य के रूप में स्वीकृत हो गया है, जहाँ राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, उद्योगपति और अपराधियों की गठजोड़ से ऊपर से नीचे तक चलने वाला भ्रष्टाचार का दुश्चक्र समाज के संसाधनों का दुरुपयोग करता है। जो धन सार्वजनिक कार्य में लगना चाहिये वह भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ जाता है। भारत में भ्रष्टाचार का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। नित नए सामने आते भ्रष्टाचार के मामले भारतीय लोकतंत्र को भी गंभीर हानि पहुँचा रहे हैं।

आजाद हिंदुस्तान की तकदीर में भ्रष्टाचार का दीमक कुछ इस तरह समाया है कि आज जीवन, समाज और सरकार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बना जो सुरक्षित हो। संसद से सड़क तक, मंदिर से दफ्तर तक तथा आम आदमी से खासोखास तक जिसको जहाँ मौका मिलता है, लूटने में लगा है। 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, 2300 करोड़ रुपए का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 900 करोड़ रुपए का चारा घोटाला, 400 करोड़ रुपए का आई.पी.एल. घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला, बोफोर्स तोप घोटाला, रक्षा खरीद घोटाला, ताबूत घोटाला तथा विदेशी बैंकों में पड़ा 120 लाख करोड़ रुपए का काला धन क्या साबित करता है? जनप्रतिनिधि सरकारी ठेके के नाम पर ठगता है, न्यायाधीश गलत न्याय के नाम पर लूटता है, पत्रकार खबर दबाने तथा झूठे प्रचार के नाम पर मालामाल होता है तो सरकारी बाबू, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, क्लर्क और चपरासी दफ्तर में लोगों से घूस लेते हैं। शिक्षाविद् शिक्षा बेचने पर उतारू हैं, पुजारी मंदिर की आस्था और भगवान बेचने पर उतारू हैं, डॉक्टर इनसान बेचने पर उतारू हैं तो न्यायाधीश ईमान बेचने पर उतारू है। कोई दहेज़ से कमाता है तो कोई चापलूसी और दलाली से। भ्रष्टाचार के इस दौर में धनवान इतराता है, बुद्धिजीवी खामोश हैं, मीडिया बिका हुआ है तथा आम जनता त्रस्त है।

भ्रष्टाचार की उपस्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिये स्वस्थता का लक्षण नहीं है। वर्तमान समय की अनेक समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार को माना जा सकता है। भ्रष्टाचार केवल नैतिकता पर प्रश्न नहीं है बल्कि भारत जैसे विकासशील देश की आर्थिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है इसलिये भारतीय लोकतंत्र के सशक्तीकरण, आर्थिक उन्नति, चहुँमुखी विकास एवं लोक-कल्याणकारी शासन की स्थापना के लिये भ्रष्टाचार उन्मूलन की अत्यंत आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार अपने स्वरूप में इतना अधिक व्यापक है कि उसकी कोई एक स्पष्ट, सटीक एवं सुनिश्चित परिभाषा देना संभव नहीं है। फिर भी इसे सार्वजनिक धन के व्यक्तिगत लाभ के लिये प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हालाँकि यह परिभाषा भी पूर्णतः दोषमुक्त नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार व प्रशासनिक भ्रष्टाचार के रूप में विभाजित किया जा सकता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार मूलतः नीति निर्माण से जुड़ा है। इसके अंतर्गत नीतियों, कानूनों, नियमों, विनियमों में इस तरह का परिवर्तन लाने की चेष्टा की जाती है कि ये किसी समूह विशेष या व्यक्ति विशेष को अधिक लाभ पहुँचाए। नौकरशाही से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार नीतियों को लागू करने से संबंधित है। रिश्वत, भाई-भतीजावाद, घोटाले, धोखाधड़ी आदि भ्रष्टाचार के सर्वाधिक प्रचलित रूप हैं।

3.1 भ्रष्टाचार का अर्थ *(Meaning of Corruption)*

भ्रष्टाचार नैतिकता की विफलता का एक महत्त्वपूर्ण आविर्भाव है। अंग्रेज़ी का 'corrupt' शब्द लैटिन शब्द 'corruptus' से लिया गया है, जिसका अर्थ है– 'तोड़ना या नष्ट करना'। भ्रष्टाचार भ्रष्ट (बिगड़ा हुआ) + आचरण (व्यवहार) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा बिगड़ा हुआ आचरण करना जिसकी अपेक्षा लोकसेवकों से नहीं की जाती। भ्रष्टाचार की

अध्याय
4

मनोवृत्ति (Attitude)

व्यक्ति की मनोवृत्ति उसका व्यक्तित्व निर्माण करने के साथ-साथ समाज में उसके कार्य-व्यवहार को संचालित करती है। मनोवृत्ति समाज से प्रभावित होती है और उसे प्रभावित भी करती है। सामान्यत: किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को मनोवृत्ति कहते हैं। आम तौर पर मनोवृत्तियाँ व्यक्तिगत अनुभव एवं समाज के साथ अंतर्क्रिया द्वारा सीखी जाती है। चूँकि मनोवृत्ति सापेक्षत: स्थायी होती है तथा इसमें प्रेरित करने की शक्ति भी होती है। इसी विशेषता के कारण मनोवृत्ति का महत्त्व सिविल सेवकों के लिये बहुत अधिक हो जाता है। सिविल सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी मनोवृत्ति, पूर्वाग्रहों एवं रूढ़ियुक्ति से मुक्त रहते हुए अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करें। मनोवृत्ति के कारण हमारा दृष्टिकोण तटस्थ और वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाता है जबकि सिविल सेवकों के लिये यह ज़रूरी है कि उनका दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ तथा तटस्थ हो।

4.1 मनोवृत्ति क्या है? *(What is Attitude?)*

मनोवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय (Psychological Object) (अर्थात् व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव आ सके) के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। उदाहरण के लिये, वर्तमान भारत में पश्चिमी संस्कृति और ज्ञान के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति है, जबकि पारंपरिक तथा रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति आम तौर पर नकारात्मक मनोवृत्ति दिखाई पड़ती है।

मनोवृत्ति की परिभाषा में समय के साथ परिवर्तन आया है। शुरुआती परिभाषाओं में इसके केवल एक पक्ष पर बल दिया जाता था जिसे मूल्यांकन परक पक्ष (Evaluative) या भावनात्मक (Affective) पक्ष कहा जा सकता है। 1946 में थर्सटन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को मनोवृत्ति कहते हैं।

कालांतर में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर बल दिया कि मनोवृत्ति में सिर्फ भावनात्मक पक्ष नहीं होता बल्कि संज्ञानात्मक पक्ष (Cognitive aspect) भी होता है अर्थात् एक जानकारी या विश्वास की उपस्थिति भी होती है। उदाहरण के लिये अगर कोई पुरुष कहता है कि महिलाएँ अतार्किक होती हैं तो इसमें महिलाओं में तर्क बुद्धि कम होने का विश्वास अंतर्निहित है और साथ ही उनके प्रति पुरुषों की नकारात्मक भावना भी शामिल है। 1980-90 के बाद मनोवृत्ति की परिभाषा और व्यापक हो गई। इन परिभाषाओं में निहित दृष्टिकोण को ABC दृष्टिकोण कहा जाता है। यहाँ A का अर्थ Affective या भावनात्मक है; B का अर्थ Behavioural अर्थात् व्यवहारात्मक जबकि C का अर्थ Cognitive या संज्ञानात्मक है। इसे हिन्दी में 'संभाव्य' (संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक) कहते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि मनोवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति इन तीन संघटकों की अपेक्षाकृत स्थायी मानसिकता है। उदाहरण के लिये- यदि कोई श्वेत-अश्वेतों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखता है तो उसमें तीन पक्ष होंगे:

(i) उसके पास कुछ ऐसी जानकारियाँ होंगी जिनसे साबित होता हो कि अश्वेत बुरे होते हैं, ये जानकारियाँ गलत हो सकती हैं किंतु उसे विश्वास होगा कि ये सही हैं (संज्ञानात्मक पक्ष)।

(ii) वह अश्वेतों के प्रति नफरत या घृणा जैसी भावनाएँ अनुभव करेगा (भावनात्मक पक्ष)।

(iii) वह किसी अश्वेत को देखकर नकारात्मक प्रतिक्रिया करेगा, जैसे– उससे दूर बैठना, हाथ न मिलाना या गालियाँ देना आदि (व्यवहारात्मक पक्ष)।

सामान्यत: माना जाता है कि मनोवृत्ति इन तीनों पक्षों से मिलकर बनती है। हालाँकि, समकालीन अनुसंधानों के अनुसार मनोवृत्ति में व्यवहारात्मक पक्ष का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या समूह के बारे में गलत धारणाएँ रखता हो (संज्ञानात्मक), बुरी भावनाएँ भी रखता हो (भावनात्मक) किंतु नैतिक मूल्यों या सामाजिक दबावों अथवा लड़ाई-झगड़े के भय से अपनी मनोवृत्ति के अनुरूप आचरण न करे। जैसे– अफ्रीका में घूमते समय कोई श्वेत व्यक्ति अश्वेतों के प्रति वैसा आचरण नहीं करेगा जैसा अपने देश में कर सकता है।

अध्याय
5

अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएँ/मूल्य (Aptitude and Foundation Ability/Values for Civil Services)

संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति तथा प्रशासन में दक्षता के लिये शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है। देश की शासन व्यवस्था की स्टील फ्रेम लोक सेवाएँ इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करती हैं, इसलिये लोक सेवाओं में कुछ अनिवार्य आधारभूत योग्यताओं के होने की अपेक्षा की जाती है। एक सिविल सेवक के सेवा काल में कई ऐसे मौके आते हैं जब उसे कठिन निर्णय लेने होते हैं और उसके निर्णय में थोड़ी-सी भी चूक कई व्यक्तियों के जीवन पर भारी पड़ सकती है। अच्छे शासन की नींव स्थिरता और मधुर संबंधों को सुनिश्चित करते हुए नैतिक गुणों पर रखी जानी चाहिये। सुशासन की स्थापना के लिये लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, सहिष्णुता, राजनीतिक तटस्थता, वस्तुनिष्ठता, समानुभूति, वंचित वर्गों के प्रति करुणा तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों का होना आवश्यक है। साथ ही उनमें अपने कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों के अनुरूप अभिक्षमता होना भी आवश्यक है। लोक सेवा में नैतिकता एवं तार्किकता के सभी मूल्यों का समावेश किया जाना आवश्यक है। हमारे सिविल सेवकों को संवेदनशील होना पड़ेगा ताकि वे जनता के दु:ख-दर्द को समझ सकें और लोकतंत्र की बेहतरी में योगदान दें।

5.1 अभिक्षमता : अवधारणा एवं विशेषताएँ *(Aptitude : Concept and Characteristics)*

अभिक्षमता से आशय व्यक्ति की उस तत्परता, रुझान या क्षमता से है जो किसी पद एवं उसके कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु आवश्यक है जिनका विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा संभव है तथा समयानुकूल सुधार की संभावना भी उपलब्ध रहती है। अभिक्षमता कोई एक गुण नहीं है बल्कि एकाधिक गुणों का सम्मिलित संयोजन है। यह मानव क्षमता का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

फ्रीमैन के अनुसार, "अभिक्षमता का तात्पर्य गुणों तथा विशेषताओं के एक ऐसे संयोग से होता है जिससे विशिष्ट, ज्ञात तथा संगठित अनुक्रियाओं के कौशल जैसे– किसी भाषा को बोलने की क्षमता, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता आदि का पता लगाया जा सकता है।

बिंघम के अनुसार, "अभिक्षमता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात् उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है।" अभिक्षमता को अभिरुचि भी कहा जाता है।

अभिक्षमता क्या है? *(What is aptitude?)*

अभिक्षमता किसी व्यक्ति की विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो बताता है कि अगर उसे उचित वातावरण तथा प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिये आवश्यक योग्यताओं तथा दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है? यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल को सीखने की अथवा ज्ञानार्जन की जन्मजात अथवा अर्जित क्षमता है। आमतौर पर अभिक्षमताएँ जन्मजात होती हैं लेकिन वे अर्जित भी हो सकती हैं। अभिक्षमता बुद्धिमत्ता (intelligence), ज्ञान (knowledge), समझ (understanding), रुचि (Interest) व कौशल (skills) से भिन्न है।

अभिक्षमता की विशेषताएँ *(Characteristics of aptitude)*

सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिंघम के अनुसार अभिक्षमता की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. व्यक्ति की अभिक्षमता वर्तमान गुणों का वह समुच्चय है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करता है।
2. यह किसी वस्तु का नाम न होकर अमूर्त संज्ञा है। चूँकि यह व्यक्ति का अंग समझी जाती है, इसलिये यह व्यक्ति के गुण या विशेषता की ओर संकेत करती है।

अध्याय
6

सांवेगिक बुद्धि
(Emotional Intelligence)

भारत जैसे बहुलतावादी देश में सांवेगिक बुद्धि से युक्त सिविल सेवकों का होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में सार्वजनिक सेवाओं एवं प्रशासन में तनाव का स्तर काफी ऊँचा है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की निरंतर बढ़ती अपेक्षाएँ, राजनीतिक बाधाएँ, मीडिया, सिविल सोसायटी के आंदोलन आदि चौतरफा और परस्पर विरोधी स्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं। इन जटिल परिस्थितियों में वही व्यक्ति सफल हो पाता है, जिसमें भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता अधिक होती है। स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाले और व्यवहार में लचीलापन रखने वाले सिविल सेवक ही प्रशासन के उद्देश्यों की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमें किसी समस्या को सुलझाने के लिये संज्ञानात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है, परंतु संज्ञानात्मक बुद्धि हमारे दैनिक जीवन के एक छोटे से अनुपात का ही प्रतिनिधित्व करती है। अत: सांवेगिक बुद्धि का महत्त्व एवं आवश्यकता इसकी तुलना में कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिये प्रशासनिक अधिकारियों से सांवेगिक बुद्धि की अपेक्षा की जाती है।

6.1 सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा *(Concept of Emotional Intelligence)*

अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने तथा उनका समुचित प्रबंधन करने की क्षमता को सांवेगिक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर, पारस्परिक संबंधों को विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता सांवेगिक बुद्धि कहलाती है। यह मूल रूप से अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने तथा दूसरे के मनोभावों को समझकर उन पर नियंत्रण करने की क्षमता है। सांवेगिक बुद्धि को भावनात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक प्रज्ञता भी कहा जाता है।

प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। ऐसी ही भावनाओं को व्यक्त करने एवं उन्हें प्रबंधित करने का उनका तरीका भी अलग-अलग होता है। अपनी भावनाओं या संवेगों को समझने की क्षमता और किस प्रकार से आपके संवेग दूसरों को प्रभावित करते हैं, की समझ से अच्छे संबंधों का निर्माण हो सकता है। इसके अंतर्गत दूसरों के प्रति आपकी धारणा भी सम्मिलित होती है। एक कुशल लोक सेवक कार्यकुशलता, दक्षता एवं कार्य की सफलता के लिये संवेगात्मक प्रबंधन का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करता है।

अवधारणा का विकास *(Development of concept)*

डार्विन ने माना था कि व्यक्ति की उत्तरजीविता व अनुकूलन में इस बात का भी महत्त्व है कि वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कैसे तथा कितनी करता है? उसी शताब्दी (19वीं) में जब हीगल जैसे बुद्धिजीवी, बुद्धि तथा अमूर्तीकरण को मनुष्य की सर्वोच्च क्षमता बता रहे थे, अस्तित्ववादी विचारक सोरेन कीर्केगार्द ने कहा था कि मनुष्य की पहचान उसकी भावनाओं से होनी चाहिये, न कि बुद्धि से। उस समय हीगल के सम्मुख कीर्केगार्द की बात को महत्त्व नहीं दिया गया।

1920 में थोर्नडाइक ने बुद्धिमत्ता के प्रकारों पर विचार करते हुए सामाजिक बुद्धिमत्ता या सोशल इंटेलिजेंस की धारणा दी जिसका अर्थ है सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने के लिये उचित विकल्प चुनने की क्षमता। वर्तमान में सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत इस विशेषता को भी शामिल किया जाता है।

1940 में डेविड वेसलर ने लिखा कि व्यक्ति की सफलताओं में सिर्फ बौद्धिक पक्ष शामिल नहीं है बल्कि भावनात्मक पक्षों को महत्त्व दिये जाने की भी ज़रूरत है। 1950 के दशक में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मनुष्य के भावनात्मक पक्षों के महत्त्व को रेखांकित किया।

1983 में हॉवर्ड गार्डनर ने बहुल बुद्धिमत्ता सिद्धांत (Theory of Multiple Intelligences) प्रतिपादित किया जिसमें बुद्धिमत्ता के 8 में से दो प्रकार ऐसे थे जिनका गहरा संबंध भावनात्मक बुद्धिमत्ता या सांवेगिक बुद्धि से माना जाता है। इसमें पहली क्षमता थी अंतर-वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत दूसरों के इरादों, मन:स्थितियों, अनुभूतियों, स्वभावों, इच्छाओं तथा

अध्याय
7

केस-स्टडी
(Case Study)

केस स्टडी इस प्रश्नपत्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम का अनुप्रयुक्त (Applied) एवं व्यावहारिक अभ्यास (Practical practice) रूप है। इसके अंतर्गत किसी भी स्थिति, तथ्य या घटना की भली-भाँति सूक्ष्मता से जाँच-पड़ताल एवं विश्लेषण करने के साथ स्वयं समाधान खोजने का सक्रिय प्रयास किया जाता है। यह समस्या आधारित सीखना (Problem based learning) एवं निर्णयन प्रक्रिया से संबंधित है। यह अध्याय पाठ्यक्रम की अन्य इकाइयों से भिन्न पूरे पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु का एकीकृत रूप है। केस स्टडी से संबंधित प्रश्न हल करने के लिये आवश्यक है कि पिछली सात इकाइयों की अध्ययन सामग्री आपके विचार प्रक्रिया एवं समाधान दृष्टिकोण का भाग बन जाए।

केस स्टडी के उद्देश्य *(Objectives of case study)*

1. अभ्यर्थी स्वतंत्रता के साथ स्वयं ही सृजनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकेंगे।
2. पूरे घटनाक्रम या स्थिति में नवीनतम तथ्यों को जान सकेंगे।
3. वे समस्या समाधान (Problem base learning) हेतु सक्रिय हो सकेंगे।
4. व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं सामाजिक संबंधों को उत्तम ढंग से डील करने की क्षमता का विकास होगा।
5. स्वयं अपने अनुभव एवं आकलन से सीखने, निर्णय करने एवं नैतिकता का पालन करने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे।
6. अभ्यर्थियों में अभिप्रेरण एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास संभव हो सकेगा।
7. अभ्यर्थी भावी उत्तरदायित्वों के संदर्भ में अपनी सचेतन अवस्था एवं निर्णयन क्षमता को परख सकेंगे।

इस प्रश्नपत्र में अच्छे अंक लाने का सबसे बेहतर तरीका है इसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित बातों को अपने जीवन एवं सामाजिक-व्यावसायिक व्यवहार को जोड़कर विश्लेषण करना। व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में होने वाले निर्णयों को नैतिक दृष्टि से उचित एवं अनुचित होने को परखना ज़रूरी है। यदि निर्णयों में औचित्य का अभाव है या वे अनैतिक हैं तो निर्णय को प्रभावित करने वाली प्रत्येक परिस्थिति पर विचार किया जाना चाहिये। ऐसे कौन से कारक हैं जो व्यक्तियों को अनैतिक होने एवं ऐसे निर्णय लेने के लिये बाध्य करते हैं और स्वयं आप ऐसे दबावों से किस हद तक मुक्त हैं? नीतिगत आधार पर निर्णय करने एवं व्यावसायिक पक्षों के साथ समन्वय करते हुए उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिये केस स्टडी पर अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

केस स्टडी को हल करते हुए आपको नैतिक, संवैधानिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक पक्षों के आधार पर निर्णयन एवं विश्लेषण करना होगा।

केस स्टडी को हल करने की रणनीति *(Strategy to solve case studies)*

केस स्टडी को हल करने के दौरान निम्नलिखित रणनीति अपनाई जानी चाहिये-

1. घटना एवं कार्य की परिस्थितियों एवं प्रभाव के प्रत्येक पक्ष पर विचार करना चाहिये। यथा-
   (i) कार्य किया जा चुका है, किया जा रहा है या बाद में होने वाला है। कार्य किया जा रहा है या होने वाला है तो कार्य को रोकने के उपाय एवं नैतिक दृष्टि से विश्लेषण करने तथा सुधारने का उपाय करना होगा। यदि कोई घटना घट चुकी है तो उसके प्रभाव प्रबंधन को प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिये।
   (ii) जिस व्यक्ति ने कार्य किया है, उसकी परिस्थितियाँ बाध्यकारी थीं या अनुकूल, इसका विश्लेषण करना आवश्यक है। परिस्थितियों के अनुसार दंड में कठोरता एवं विनम्रता का समावेश होना चाहिये।

अध्याय
8

महत्त्वपूर्ण शब्दावली एवं उनमें अंतर
(Important Terminology and Differences Between Them)

- **अभिवृत्ति (Attitude):** अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ व्यक्ति में किसी मनोवैज्ञानिक विषय (तटस्थ व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव) के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक आस्था भाव की उपस्थिति है। दूसरे शब्दों में किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं। सामान्य तौर पर अभिवृत्तियाँ व्यक्तिगत अनुभव एवं समाज के साथ अंतर्क्रिया द्वारा सीखी जाती है। इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तीनों संघटकों की अपेक्षाकृत स्थायी मानसिकता है।
- **अभिरुचि (Interest):** अभिरुचि किसी व्यक्ति की विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो बताता है कि यदि उसे उचित वातावरण एवं प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिये आवश्यक योग्यताओं तथा दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है। यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल सीखने या ज्ञानार्जन की जन्मजात अथवा अर्जित क्षमता है। सामान्य तौर पर अभिरुचियाँ जन्मजात होती हैं लेकिन इन्हें उचित वातावरण एवं प्रशिक्षण से अर्जित भी किया जा सकता है।
- **मूल्य (Value):** मूल्य का अर्थ सर्वथा गहरे नैतिक आदर्शों से होता है जो समाज की दृष्टि में उचित, न्यायपूर्ण एवं न्यूनतम मानवीय गुण हैं, उन्हें मूल्य कहा जाता है। उदाहरण के लिये-शांति, न्याय, सहिष्णुता, आनंद, ईमानदारी, समयबद्धता, समर्पण, दया, करुणा आदि प्रसिद्ध आदर्श मूल्य हैं। मूल्यों के संबंध में समाज की समझ होती है कि वे सामाजिक जीवन को संभव व श्रेष्ठ बनाने के लिये आवश्यक हैं। नीतिशास्त्र में जो उचित है, वह मूल्ययुक्त तथा जो अनुचित है, वह मूल्यहीन कहलाता है।
- **अंत:करण की आवाज़ (Voice of Sense):** अंत:करण की आवाज़ से तात्पर्य उस आंतरिक प्रेरणा से है, जो हमारे किसी व्यवहार के नैतिक या अनैतिक होने को बताता है। अंत:करण की आवाज़ सत्य एवं पवित्र होती है तथा यह अधिकांशत: नैतिक निर्णय लेने के लिये प्रेरित करती है। चूँकि मनुष्य की अंतरात्मा बाह्य दबावों व परिस्थितियों से निर्देशित नहीं होती, इसलिये यह किसी कृत्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय अधिक श्रेष्ठता से कर पाती है। सार रूप में कहें तो भौतिक लाभ-हानि, सांसारिक अर्थों से परे नैतिकता-अनैतिकता की जो आवाज़ मन के अंदर से आती है, वही अंत:करण की आवाज़ है। उदाहरण के लिये जब कोई चोरी कर रहा होता है और उसे कोई नहीं देख रहा होता है तब भी अंत:करण की आवाज़ उसे यह बताती है कि वह गलत कर रहा है।
- **विवेक का संकट (Crisis of Discretion):** 'विवेक का संकट' से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जब हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? अर्थात् सही के रूप में किसी एक पक्ष को चुनना संभव नहीं हो पाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विवेक का संकट उस स्थिति को कहते हैं जब अंतरात्मा दो परस्पर विरोधी मूल्यों या विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में ठोस निर्णय न दे सके। यह उस नैतिक दुविधा को दर्शाता है, जब किसी एक पक्ष में निर्णय लेते समय दूसरे पक्ष के साथ अनैतिक हो जाने का डर हो।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence):** भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाओं तथा अनुभूतियों को पहचानता है, उनमें अंतर करता है तथा इस सूचना का प्रयोग अपने चिंतन तथा क्रियाओं को निर्देशित करने के लिये करता है। दूसरे शब्दों में अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर, पारस्परिक संबंधों का विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से, प्रबंधन करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है।
- **प्रयोजनवाद (Teleologism):** प्रयोजनवाद के अनुसार किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय उस कार्य के परिणाम से तय होगा, न कि निश्चित नैतिक नियमों से। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि नैतिक नियमों पर यदि कार्य का परिणाम भारी है तो वह कर्म सापेक्षत: नैतिक ही माना जाएगा।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456